09-07-2025

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत वकील वादीया ने प्रतिवादी सं.–1 ता 8 का राजीनामा होना जाहिर किया व लिखित राजीनामा पेश किया गया जो दोनों पक्षों में संवीक्षा करना स्वीकार किया गया राजीनामा पृथक से तरदीक किया गया जो शामिल मिसल रहें। पत्रावली का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट हैं कि वादी एवं प्रतिवादीगण के दादा/परनाना विशन सिंह पुत्र वजीर सिंह के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज भूमि है। उक्त कृषि भूमि वादिया के दादा/परनाना स्व. विशन सिंह ने अपनी स्वेच्छा एवं पूर्ण होशोहवास से जरिये रजिस्टर्ड तमलीकनामा अपने पुत्र सुन्दर सिंह यानि वादि एवं प्रतिवादी के पिता/नाना सुन्दर सिंह के नाम से उक्त विवादित आराजी पंजीकृत तमलीकनामा 22.11.1985 की रूह से दान में दी थी। उसी रोज कब्जा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता/नाना को संभला दिया था तभी से उक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता/नाना के अधिकार एवं आधिपत्य में रही। वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता/नाना के देहान्त के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जा काश्त में चली आ रही है। पंजीकृत तमलीकनामा दिनांक 22.11.85 अरसा 30 वर्ष पूर्व निष्पादित एवं पंजीकृत होने के आधार पर सत्यता की उपधारणा ली जाकर वादीया एवं प्रतिवादीगण के पिता/नाना सुंदर सिंह को खातेदार घोषित होने के विधिक अधिकारी थे, चूंकि सुन्दर सिंह का देहान्त हो चुका है वादी एवं प्रतिवादीगण मृतक सुन्दर सिंह के प्रथम श्रेणी के जायज वारीसान होने के आधार पर उक्त कृषि भूमि के खातेदार घोषित होने के अधिकारी होने के आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण को उक्त विवादित कृषि भूमि के खातेदार घोषित किया जाता है। वाद के दौरान वादी एवं प्रतिवादीगण ने उक्त विवादित कृषि भूमि का अपने मध्य ब. हिस्सा बराबर मौखिक पारिवारिक बंटवारानामा कर लिया है एवं वादी एवं प्रतिवादीगण अपने मध्य हुये उक्त मौखिक बंटवारानामा के आधार पर अपने अपने हिस्सा में काबिज है। इस बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने प्रकरण में राजीनामा पेश कर अपने मध्य हुये पारिवारिक बंटवारानामा के आधार पर दावा का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया है।

**– :: आदेश :: –**

न्यायालय की राय में वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुये पारिवारिक बंटवारानामा अनुसार एवं न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद पत्र वादीया निर्णित एवं डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद को निर्णीत व डिक्री किया जाता है। राजीनामा डिकी का भाग रहेगा। डिकी [illegible] होकर व प्रति प्रतिवादी सं.–9 तहसीलदार [illegible] को [illegible] आदेशित किया जाता हैं कि राजीनामा डिक्री अनुसार वादी [illegible] प्रतिवादीगण के मध्य विवादित कृषि भूमि का निम्नानुसार विभाजन कर पृथक–पृथक नाम से राजस्व रिकार्ड में अकंन करें।

<u>**वादीया विजय रानी पत्नी भीमचन्द का हिस्सा:–**</u>

चक 88 जी बी का पत्थर नं.–297/424 का मुरब्बा नं.–2 का किला नं.–22 ता 25 का तदादी 0.430 हैक्टेयर व पत्थर नं.–298/429 का मुरब्बा नं.–30 का किला नं.–1 का 0.253 हैक्टर, 2 में 0.166 हैक्टेयर तदादी का 0.419 हैक्टेयर इस प्रकार **कुल 0.849 हैक्टेयर।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.09 18:06:52 IST
Reason: SelfAttested

**प्रतिवादी सं.–1 वर्षा सेठी पत्नी अशोक कुमार सेठी का हिस्साः–**
चक 88 जी बी का पत्थर नं.–298/429 का मुरब्बा नं.–30 किला नं. –2 मे 0.087 हैक्टेयर, किला नं.–3 में 0.253 हैक्टेयर, किला नं.–4 में 0.253 हैक्टेयर, किला नं.–5 में 0.253 हैक्टेयर, किला नं.–6 का 0.003 हैक्टेयर इस प्रकार **कुल 0.849 हैक्टेयर।**

**प्रतिवादी सं.–2 विनिता पत्नी ओम पुत्री सुन्दर सिंह का हिस्साः–**
चक 88 पत्थर नं.–298/429 का मुरब्बा नं.–30 किला नं.–6 मे 0.250 हैक्टेयर, किला नं.–7 में 0.253 हैक्टेयर, किला 8 में 0.253 हैक्टेयर, किला नं.–9 में 0.093 हैक्टेयर इस प्रकार **कुल 0.849 हैक्टेयर।**

**प्रतिवादी सं.–3 सुमन उर्फ बन्दना अरोड़ा पत्नी राजकुमार का हिस्साः–**
चक 88 जी बी का पत्थर नं.–298/429 का मुरब्बा नं.–30 किला नं. –9 मे 0.160 हैक्टेयर, किला नं.–10 में 0.253 हैक्टेयर, किला नं.–11 में 0.253 हैक्टेयर, किला नं.–12 में 0.183 हैक्टेयर इस प्रकार **कुल 0.849 हैक्टेयर।**

**प्रतिवादी सं.–4 सोनू पत्नी विनोद कुमार का हिस्साः–**
चक 88 जी बी का पत्थर नं.–298/429 का मुरब्बा नं.–30 किला नं. –12 मे 0.070 हैक्टेयर, किला नं.–13/1 में 0.127 हैक्टेयर तादादी 0.197 नाली दोयम, मुरब्बा नं.–7 पत्थर नं.–301/425 में किला नं. –25/3 में 0.126 तदादी 0.126 हैक्टेयर व मुरब्बा नं.–11 पत्थर नं. –301/426 में किला नं.–2 में 0.253 हैक्टर, 9/1 में 0.126 हैक्टेयर, 9/5 में 0.038 हैक्टेयर, 10/2 में 0.101 हैक्टेयर, 10/3 में 0.008 हैक्टेयर तादादी 0.526 हैक्टेयर इस प्रकार **कुल 0.849 हैक्टेयर।**

**प्रतिवादी सं.–5 चरण सिंह पुत्र सुन्दर सिंह का हिस्साः–**
चक 88 जी बी का पत्थर नं.–301/426 का मुरब्बा नं.–11 किला नं. –10/3 मे 0.055 हैक्टेयर, किला नं.–24 में 0.253 हैक्टेयर तादादी 0.308 हैक्टर नहरी, मुरब्बा नं.–37 पत्थर नं.–302/430 में किला नं. –25/1 में 0.126 हैक्टर तादादी 0.126 हैक्टर नाली दोयम व मुरब्बा नं.–64 पत्थर नं.–304/435 में किला नं.–5 में 0.253 हैक्टर, 6 में 0.162 हैक्टर तादादी 0.415 हैक्टर नाली दोयम इस प्रकार **कुल 0.849 हैक्टेयर।**

**प्रतिवादी सं.–6 ता 8 शुभम, इन्दु, बिन्दु पिसरान संजय चौधरी का हिस्साः–**
चक 88 जी बी का पत्थर नं.–304/435 का मुरब्बा नं.–64 किला नं. –6 मे 0.091 हैक्टेयर, किला नं.–15 में 0.253 हैक्टेयर, किला नं.–16 में 0.253 हैक्टेयर, किला नं.–25 में 0.253 हैक्टेयर इस प्रकार **कुल 0.850 हैक्टेयर।**

उक्तानुसार पत्रावली को निर्णित एवं डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से मुरतीब की जाकर शामिल पत्रावली हो।

निर्णय आज दिनांक **09.07.2025** को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं दर्ज नम्बर से कम हो। [signature]

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.09 18:06:52 IST
Reason: SelfAttested